प्रेषक, संख्या–2480/उन्तीस(2)/18–2(160 पे0)/2018

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 27 दिसम्बर,2018

विषय :– नाबार्ड की RIDF-XXIV योजनान्तर्गत वित्त पोषित निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं हेतु अवेशष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXIV योजनान्तर्गत वित्त पोषित 06 पेयजल योजनाओं हेतु संलग्न सूची में वर्णित योजनाओं के सम्मुख कालम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 263.01 लाख (रू0 दो करोड़ त्रिरसठ लाख एक हजार) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं व कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) कार्य कराने से पर्वू उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(vi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलापूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति –98–नाबार्ड वित्त पोषित –01–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215–01–102–05से स्थान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H 1812131751 दिनांक 27 दिसम्बर,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या– 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 एवं 1432/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17 दिसम्बर,2018 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या–2480 (1)/उन्तीस(2)/18–2(160पे0)/2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, होटल सनराईज विल्डिग, 113/2, राजपुर रोड़, देहरदून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. बजट निदेशालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव